

//निविदा//

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश छिन्दवाड़ा में वित्तीय वर्ष 2022-23 में निम्नलिखित स्टेशनरी सामग्री कय किए जाने हेतु कोटेशन(निविदा) आमंत्रित की जाती है। अतः इच्छुक संस्था संशोधित दिनांक 13-08-22 के कार्यालयीन समय तक बंद लिफाफे में निविदा प्रस्तुत करें

स्टेशनरी सामग्री की सूची


सरल क्रमांक	स्टेशनरी/सामग्री का विवरण	स्टेशनरी/सामग्री की मेक कम्पनी
1.	सफेद ए-4 पेपर 75 जीएसएम	Reflaction
2.	सफेद ए-4 पेपर 65 जीएसएम	Reflaction

निविदा की शर्त :-

01. स्टेशनरी सामग्री की दरें जी.एस.टी. सहित सुस्पष्ट अक्षरों में प्रस्तुत करें।
02. निविदा में जिस गुणवत्ता/कंपनी की सामग्री(नमूना अनुसार) स्वीकृत की जावेगी, वहीं सामग्री अर्थात् उसी गुणवत्ता/कंपनी की सामग्री और उतनी ही वजन/पैकिंग की सामग्री प्रदाय किया जाना आवश्यक होगा। नियम/शर्त का उल्लंघन किए जाने पर निविदा भरने वाले के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
03. निविदा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वैध रहेगी। अर्थात् दर स्वीकृत होने पर निविदा भरने वाले को निविदा में दर्शित दर पर ही संपूर्ण वित्तीय वर्ष 2022-23 में समय-समय पर इस कार्यालय के आदेश के परिपालन में स्टेशनरी कार्यालय को निश्चित समयावधि में प्रदाय करना आवश्यक होगी। स्टेशनरी हेतु पृथक से किराया या भाड़ा/हमाली प्रदान नहीं किया जावेगा।
04. समस्त निविदा भरने वाले निविदा के साथ इस आशय की टीप आवश्यक रूप से लिखेंगे कि, वे उनकी **"दर स्वीकृत होने पर संपूर्ण वित्तीय वर्ष में समय-समय पर कार्यालय के आदेश के परिपालन में स्वीकृत दर पर ही सामग्री प्रदान करेंगे।"** निविदा के साथ यह टीप नहीं दिए जाने पर निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
05. किसी भी निविदा को स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने या अमान्य करने का पूर्ण अधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश छिन्दवाड़ा को होगा। जिसे मानने के लिए सभी निविदा भरने वाले बाध्य होंगे।

छिन्दवाड़ा

दिनांक :-05-08-2022

  
for प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
छिन्दवाड़ा(म.प्र.)  
5-8-22